न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 40 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2014 / 00005

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मांगीलाल पुत्र रामुजी कौम—बिश्नोई, निवासी—बलाना तहसील व जिला—सांचौर		1 रामु पुत्र सरूपा के कायम मुकाम ए— मांगीलाल पुत्र रामुजी बी— किशनाराम पुत्र रामुजी सी—चनणी पत्नी रामुजी 2 तेजा पुत्र सरूपा 3 हरिराम पुत्र गोरधन 4 ठाकरा पुत्र सरूपा 5 जैकिन पुत्र सरूपा 6 वीरमाराम पुत्र रामचन्द्र 7 विरदा पुत्र रामचन्द्र कौम—बिश्नोई, निवासीगण—बलाना, तहसील व जिला—सांचौर 8 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

<u>दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजु :— 24.09.2014

उपस्थिति :—

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 (बी) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित जवाब बंद।
3. प्रतिवादी संख्या 1 (सी) व 2 लगायत 7 एकपक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी संख्या 8 राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक :— 06.11.2024

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद मौजा बलाना में आया हुआ है जो भूमि सरूपाजी के परिवार की पुश्तैनी भूमि है। जिसकी वंशावली निम्न अनुसार है।

सरूपा

रामु जरिये क्रय मांगीलाल, वीरमा विरधा को प्राप्त हुई	तेजा जरिये क्रय हरिराम को प्राप्त हुई	ठाकरा	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सरूपा के परिवार की भूमि मौजा बलाना में खेत खसरा संख्या 269, 270, 271 / 337, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284 रकबा क्रमशः 1.56, 1.41, 0.06, 1.26, 3.05, 0.01, 0.04, 3.14, 0.03, 2.18, 0.04, 0.02, 4.42,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (सांचौर)

0.90, 1.22 जुमले रकबा 19.34 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें से प्रतिवादी रामू से मुझ वादी व प्रतिवादी विरमा, विरधा को हिस्से अनुसार प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी तेजा से प्रतिवादी हरिराम को दर्ज खातेदारी अनुसार भूमि जरिये क्रय के प्राप्त हुई ठाकरा व जयकिशन के पास उनका हिस्सा 1/2 सुरक्षित है। उक्त खसरा नंबर की भूमि राजस्व रेकर्ड में रामु पुत्र सरूपा का कुल आराजी में 1.83 हैक्टेयर, वगताराम पुत्र आईदानजी का 1.025 हैक्टेयर मैंने उसकी पुत्री से जरिये क्रय प्राप्त किया व 1.025 हैक्टेयर मेरे खातेदारी में जरिये क्रय के पहले से था कुल आराजी में मुझ वादी का 2.05 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की बनती है व प्रतिवादी तेजा ने अपने हिस्से में से हरिराम प्रतिवादी को बैचान की, जिससे तेजाराम के खाते में 3/16 व हरिराम के हिस्से में 1/16 हिस्सा आता है व ठाकरा, जयकिशन का कुल आराजी में 1/2 हिस्सा है व विरमा व विरधा का कुल आराजी में 1/20 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त हिस्से के अनुसार सभी खातेदार अपने अपने अंश के अनुसार अलग अलग ढाणीयां बनाकर वर्षो से अलग निवास व काश्त कर रहे है। बीच बड़ी बड़ी मेडबंदी की हुई है। मेड़ पर बड़े बड़े दरखत खड़े है। सभी खातेदारों ने अपने अपने हिस्से में अपनी हैसियत के अनुसार ढाणीयां बनाई, कुंए खुदवाये व अपने अपने हिस्से का अपनी हैसियत के अनुसार विकास किया मौके पर सभी खातेदार अलग अलग काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में खातेदारी सामलाती दर्ज है इसलिए बंटवाड़े हेतु यह वाद श्रीमानजी की सेवा में पेश है तथा आवागमन हेतु नजरी नक्शा माफिक संयुक्त रास्ता घोषित किया जावे जो मार्क A to B है।

प्रतिवादी संख्या 01 मेरे पिताजी है जिनके खाते में रकबा 1.83 हैक्टेयर है, जो पुश्तैनी भूमि है उसमें मेरा 1/2 हिस्सा खातेदारी बनती है यह भूमि पुश्तैनी होने से मेरा इस पर जन्म से हक बनता है उसे भी मेरे पिताजी के जीवन काल में अलग करवाकर मेरे खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु भी यह वाद पेश किया जा रहा है। हम दो भाई रामुजी के जायज उतराधिकारी है इसलिए 1.83 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से भूमि में मेरे बंट में 0.915 हैक्टेयर भूमि आती है तथा क्रय सुदा 2.05 हैक्टेयर भूमि है सो कुल मेरे हिस्से में 2.965 हैक्टेयर भूमि आती है उसके बंटवाड़े के लिए यह वाद पेश है।

भूमि वादग्रस्त का मौके पर विभाजन आज से करीबन 35 वर्ष पूर्व हो गया था, उस अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज है तथा क्रेता विक्रेता द्वारा बेची गई भूमि में उसके कब्जे अनुसार जहां कब्जा सुपुर्द किया वहां काबिज काश्त है। भूमि के विकास व सुधार के लिए विधुत कनेक्शन के लिए सहखातेदारों की अनुमति लेनी पड़ती है एवं भूमि संपरिवर्तन में भी बंटवाड़ा होना आवश्यक है इसलिए मुझ वादी ने सह खातेदारों को अंश व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करने का निवेदन किया, परन्तु एक साल तक आज कल आज कल करते हुए आखिर आज से 7 रोज पूर्व सभी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

सहमति का बंटवाड़ा करने पर सहमत नहीं हुए व सहमति के बंटवाड़े से मुकर गये इसलिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।
मुझ वादी के क्रय की गई भूमि रकबा 2.05 हैक्टेयर पर मैं मौके पर खसरा संख्या 269 व खसरा संख्या 270 रकबा 1.41 हैक्टेयर में 0.45 हैक्टेयर जो नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाया गया है, पर में काबिज हु तथा मेरे पिताजी का कब्जा खसरा संख्या 278 पर है। जिसमें 1/2 हिस्से में 0.915 हैक्टेयर पर मैं अलग से काबिज हु जो भूमि वादी को जरिये बंटवाड़ा अलग से खातेदारी प्रदान करने हेतु यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं

2. उक्त वाद दिनांक 24.09.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम C व 2 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28.05.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1(बी) का दिनांक 05.06.2024 को अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई द्वारा वकालातनामा पेश किया गया, जिसे शामिल ही पत्रावली किया, प्रतिवादी संख्या 1(बी) जवाब पेश नहीं करना चाहते है अतः दिनांक 10.06.2024 उनका जवाब बंद किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 8 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश न करने पर दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 8 का जवाब बंद किया गया, पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिक्री नियत की गई।

3. अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी के साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। जिस पर सुना गया चुंकि वाद संयुक्त खातेदारी में बंटवाड़े का है। अतः निर्णय प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर किया जाना है अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 10.06.2024 को पारित किया गया।

4. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि मौजा बलाना के खेत खसरा संख्या 269 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा संख्या 270 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा संख्या 271/337 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 272 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 273 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 274 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 275 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 277 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या [illegible] रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 280 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 282 रकबा 4.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा संख्या 284 रकबा 1.22 हैक्टेयर, जुमले रकबा 19.34 हैक्टेयर भूमि में वादी की क्रय सुदा भूमि रकबा 2.05 हैक्टेयर का कब्जा अनुसार पीले रंग से दर्शाये खेत खसरा संख्या 269 संपूर्ण तथा 270 में से 0.45 हैक्टेयर तथा उक्त आराजी में 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

83 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी होने से वादी मिट्स एण्ड बाण्उड्स के आधार पर अलग करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांचौर से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2024/3854 दिनांक 07.10.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना न्यायालय में पेश की जो निम्न प्रकार से है :–

1

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	किशनाराम पुत्र रामुराम 61/1934 चनणीदेवी पत्नी रामुराम 61/1934 जैकिन पुत्र सरूपा 1/4 ठाकरा पुत्र सरूपा 1/4 तेजा पुत्र सरूपा 3/16 मांगीलाल पुत्र रामुराम 662/4835 रमेश पुत्र वीरमाराम 1/40 वीरमाराम पुत्र रामचन्द्र 1/40 हरीराम पुत्र गोरधरजी 1/16 जातियान–बिश्नोई सह खातेदार, रहन–बदस्तुर जमाबन्दी	273 में से 276 में से 278 में से	0.0400 हैक्टेयर 0.0524 हैक्टेयर 0.0372 हैक्टेयर
		कुल खसरा 03	0.1296 हैक्टेयर

2

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	मंगीलाल पुत्र रामुराम, जाति–बिश्नोई, सा देह, खातेदार रहन बदस्तूर जमाबन्दी	269 270 में से	1.56 हैक्टेयर 0.4643 हैक्टेयर
		कुल खसरा 02	2.0243 हैक्टेयर

3

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	किशनाराम पुत्र रामु 605912/17186100 चनणी देवी पत्नी रामुराम 605912/17186100 जैकिन पुत्र सरूपा 48026/171861 ठाकरा पुत्र सरूपा 48026/171861 तेजा पुत्र सरूपा, 360195/1718610 मांगीलाल पुत्र रामूराम, 605956/17186100 रमेश पुत्र वीरमाराम 48026/1718610 वीरमाराम पुत्र रामचंद्र, 48026/1718610 हरीराम पुत्र गोरधनजी 120065/1718610 जातियान–बिश्नोई, सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबन्दी	270 में से 271/337 272 273 में से 274 275 276 में से 277 278 में से 280 281 282 283 284	0.9457 हैक्टेयर 0.06 हैक्टेयर 1.26 हैक्टेयर 3.01 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर 3.0876 हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर 2.142[illegible] हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर 4.42 हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर 1.22 हैक्टेयर
		14	17.1861 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

व खसरा संख्या 273 में से रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 276 में से रकबा 0.0524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 278 में से रकबा 0.0372 जुमले रकबा 0.1296 हैक्टेयर भूमि सभी काश्तकारान के सामलाती रास्ता प्रयोजनार्थ रखी गई है जो पालना रिपोर्ट में पीले रंग से दर्शित की गई है।

उपरोक्त पालना रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान् को सुना गया, जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपति जाहिर नहीं की जिस पर उक्त पी.डी. पालना रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तथा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार वादी बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री करवाने का विधिसम्मत अधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2024 को जारी प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 07.10.2024 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ए, बी, सी व 2 लगायत 8 सादिर की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट दिनांक 07.10.2024 अनुसार भूमि तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कायम करें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तीब हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट
ट्रेक सांचोर, जिला–सांचोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट
ट्रेक सांचोर, जिला–सांचोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested